प्रकीर्ण वाद संख्या- १६०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३६१/२०१९)
हरीराम आदि बनाम प्रदीप विश्वनवी आदि
<u>०८.१०.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण हरीराम व श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अनुसार मुब ६,४५,०००/-रु. विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने न्यायालय मे जमा कर दिया है। उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील/स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में उक्त जमाशुदा धनराशि उनके पक्ष में रिलीज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी हरीराम का शपथपत्र ४सी२ व प्रार्थीगण के बैंक खाते की छाया प्रतियाँ व प्रार्थीगण के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३६१/२०१९ हरीराम आदि बनाम प्रदीप विश्वनवी आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी हरीराम ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई भी अपील/स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. ३६१/२०१९ में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित १९.०२.२०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा उभय पक्ष के मध्य हुए सुलहनामा के आधार ६,४५,०००/-रु. का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त एवार्ड की धनराशि में से प्रत्येक याची मुब. ३,२२,५००/- रु. के हकदार होंगे, जिसमें से प्रत्येक याची का मुब. २,५८,०००/- रु. ३ वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है, जिसका मासिक ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगे तथा प्रत्येक याची मुब. ६४५००/-रु. एकाउण्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे। प्रार्थीगण द्वारा अपने-अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी की सूचना/प्रार्थनापत्र एवं कार्यालय आख्या के अनुसार यू.टी.आर./रिफरेंस नं. २१३२०१२०००८०७५० के माध्यम से उक्त प्रकरण में मुब. **६,४५,०००**/-रु. न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक में जमा हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में जमाशुदा धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक)शाखा गोबिन्द चौराह झाWa सी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी.सं. ३६१/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. १६०/२०२० हरीराम आदि बनाम प्रदीप विश्वनवी आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1.Hari Ram	258000	40	FD for 3Years, monthly Intrest of which shall be paid to his bank account	___	Any Nationalized Bank	____
1. Hari Ram	64500	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010009620	SYNDICATE BANK GOVIND CHAURHA JHANSI	SYNB0009235
2. Smt. Laxmi	258000	40	FD for 3 Years,	___	Any Nationali	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.08 15:56:39 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

Devi			monthly Intrest of which shall be paid to his bank account		zed Bank	
2. Smt. Laxmi Devi	64500	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352250001170	SYNDICATE BANK GOVIND CHAURHA JHANSI	SYNB0009235
Total	645000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।